



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2017/आषाढ 1, 1939

No. 516]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2017/ASHADHA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

सं. 18/2017-सेवा कर

सा.का.नि. 625(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियम, 1994 में,—

(i) नियम 7 के उपनियम (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए विवरणी, यथास्थिति, प्ररूप ‘एसटी-3’ या ‘एसटी-3सी’ में 15 अगस्त, 2017 तक प्रस्तुत की जाएगी।”

(ii) नियम 7ख के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए पुनरीक्षित विवरणी नियम 7 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।”

[फा. सं. 137/18/2017-सेवा कर]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994, सा.का.नि. सं. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं. 16/2017-सेवा कर, तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 369(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किया गया ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2017

**No. 18 /2017- Service Tax**

**G.S.R. 625(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Fourth Amendment) Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994,—
  - (i) in rule 7, in sub rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the return for the period from the 1st day of April, 2017, to the 30th day of June, 2017, shall be submitted by the 15th day of August, 2017, in Form ‘ST-3’ or ‘ST-3C’, as the case may be.”
  - (ii) in rule 7B, in sub rule (1), the following proviso shall be inserted namely:-

“Provided that the revised return for the period from the 1st day of April, 2017, to the 30th day of June, 2017, shall be submitted within a period of forty five days from the date of submission of the return under rule 7.”

[F. No. 137/18/2017-Service Tax]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification number 16/2017-Service Tax, dated the 13 April, 2017 *vide* number G.S.R. 369(E), dated the 13th April, 2017.